<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

संतोष टाक बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 200 / 2022</th><th>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>25-07-2022</td><td>अपीलार्थी संतोष टाक, निवासी ग्राम नागलवास, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.01.2022 में (1) ग्राम पंचायत,नागलवास, पालड़ी राणावता तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर की सरकारी भूमि बाबत् आपके कार्यालय में दिनांक 01.01.2021 से 23.01.2022 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुरां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 966 दिनांक 11.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 460 दिनांक 0.04.22 क्षरा सूचित किया गया कि आवेदन पत्र में शिकायत दिनांक मय शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया है, जिसके अभाव मं सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, इस कार्यालय में प्रतिदिन 300–400 पत्र आवक शाखा में इन्द्राज किये जाते है जिन्हें तलाश कर सूचना उालब्ध कराया जाना संभव नहीं है तथा दिनांक 01.01.2021 से 23.01.2022 तक के आवेदन पत्र तलाश किये जाते है तो इससे कार्यालय का दैनिक कार्य प्रभावित होगा जो लोक सूचना अधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित करती है।
चूंकि अपीलार्थी क्षरा चाही जाने वाली सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से से लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत करा दिया गया है तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट से हम सहमत है अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>